सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
पहाड़ी जिला भरतपुर राज0

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाड़ी जिला भरतपुर

तहसीलदार पहाड़ी ने पेश किया ....वादी

रिपोर्ट के साथ

बनाम

अलामोहम्मद, महमूद, शौकीन, न्यूरुद्दी हमीदा पि० रमजान

प्रति मेव मिलासी कैथवाड़ा

..................प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

महोदय,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 निम्न प्रकार से निवेदन है कि :-

1. यह है कि अनुवानी मूल वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष लम्बित है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक ....की नियत है। लेकिन दावा में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार द्वारा मौका व रिकार्ड में परिवर्तन करने की कोशिश में इसलिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. यह है कि आराजी ख0 नं0 1572/0.07, 1577/0.09, 1578/0.08 रकबा 0.24 है0 किस्म चाही अव्वल राजस्व ग्राम कैथवाड़ा तहसील पहाड़ी में स्थित है।
3. यह है कि बिन्दू संख्या 2 में वर्णित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है।
4. यह है कि बिन्दू संख्या 2 में वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड(जमाबन्दी संवत 2075–2078) में प्रतिवादी संख्या ....के नाम से दर्ज है।
5. यह है कि पटवारी हल्का कैथवाड़ा I द्वारा दिनांक ....को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उक्त वर्णित ख0नं0 1572/0.07, 1577/0.09, 1578/0.08 रकबा 0.24 है0 में से 0.24 है0 भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ उक्त भूमि को अकृषि के उपयोग में ली जा रही है जिस हेतु प्रतिवादी ने कृषि भूमि को संपरिवर्तन का कोई सक्षम आदेश प्राप्त नहीं कर रखा है तथा मौके पर यह कृषि भमि अब पुनः कृषि करने योग्य नहीं है। पटवारी रिपोर्ट एवं नकल नक्शा संलग्न है।
6. यह है कि राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि में कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया गया है।

तहसीलदार
तहसील, पहाड़ी भरतपुर

Scanned with CamScanner

7. यह है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है।

8. यह है कि इस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से दिये गये अधिकारों के विपरीत प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया है तथा भविष्य में यह भूमि पुनः कृषि योग्य नहीं रह पायेगी।

9. यह है कि प्रतिवादी के इस कृत्य की देखा रेखी में अन्य लोगों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य में कृषि संबंधी उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। जो भविष्य में क्षेत्र के विकास में बाधक होगी।

10. यह है कि वाद पत्र में सुनवाई का अधिकार श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

11. यह है कि प्रार्थना पत्र राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क आदि से मुक्त है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का मौके एवं रिकार्ड की मूल वाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे एवं उप पंजीयक पहाडी को पाबन्द किया जावे कि उनके समक्ष ख0नं0 1572/0.07, 1577/0.09, 1578/0.08 वाके ग्राम......खेचाडा...... तहसील पहाडी के खातेदारों द्वारा कोई भी मुन्तकिली दस्तावेज पेश करने पर उनको तस्दीक व पंजीबद्ध नहीं किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

संलग्नः– जमाबन्दी नक्शा एवं मौका रिपोर्ट पटवारी।

तहसीलदार(भूमिधारी)पहाडी
तहसीलदार
जिला भरतपुर
तहसील,पहाड़ी भरतपुर

Scanned with CamScanner

ग्राम इस खोदे भाग पत्थर-7 नट पहली
गाव . ली.... पटजीर

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

निश्चुलिजारी

सत्य प्रतिलिपि
Ghanshy
07.06.21
पटवारी

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी (खेवट/खतौनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-25 (सी)
(संहिता नियम 153 ग)

ग्राम का नाम :- कैथवाड़ा1
पटवार हल्का :- कैथवाड़ा1
भू.अभि.नि. :- कैथवाड़ा
तहसील :- पहाड़ी
जिला :- भरतपुर

अंतिम जमाबंदी आधार संवत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2020) से [illegible]
भूमि धारक का नाम :- राज सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 105
खाता संख्या पुराना :- 66

काश्तकार का नाम:-

1. आसमोहम्मद पुत्र रहमत हिस्सा- 1/5 जाति- मेव सा. कैथवाड़ा खातेदार
रहिन हिस्सा-1/5 (खसरा नं- 1572, 1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा अलवर
2. महफूज पुत्र रहमत हिस्सा- 1/5 जाति- मेव सा. कैथवाड़ा खातेदार
रहिन हिस्सा-1/5 (खसरा नं- 1572, 1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा अलवर
3. मुन्नी पुत्र रहमत हिस्सा- 1/5 जाति- मेव सा. कैथवाड़ा खातेदार
रहिन हिस्सा-1/5 (खसरा नं- 1572, 1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा अलवर
4. मसीदीन पुत्र रहमत हिस्सा- 1/5 जाति- मेव सा. कैथवाड़ा खातेदार
5. हमीदअहमद पुत्र रहमत हिस्सा- 1/5 जाति- मेव सा. कैथवाड़ा खातेदार
रहिन हिस्सा-1/5 (खसरा नं- 1572, 1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा अलवर,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा देय लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1559	0.2100	चाही प्रथम	0.2100	2.94	1573		
1560	0.3100	चाही प्रथम	0.3100	4.34	1573		
1571	0.0100	गै.मु.बाग्गि	0.0100	0.00			
1572	0.0700	चाही उत्तम	0.0700	1.26	1571		
1577	0.0800	चाही उत्तम	0.0800	1.44	1571		
1578	0.0900	चाही उत्तम	0.0900	1.62	1571		
1614	0.0300	चाही उत्तम	0.0300	0.54	1626		
कुल खसरे - 7	0.8000		0.8000	12.1400			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।
नकल जारी करने की तिथि :- 9-Jun-2021

NIC

राजकार्य हेतु निःशुल्क जारी

सत्य प्रतिलिपि

अस्थाई निषेधाज्ञा – पत्र

(धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम)

दिनांक 9/6/21

क्रमांक 2020

बनाम (1) आस मोहम्मद पुत्र श्री रहमत जाति मेव

निवासी (2) महमूद तहसील

(3) समसुदीन कि० कैथवाड़ा पहाड़ी जिला भरतपुर

(4) वजरुद्दी बनाम

श्री (5) हमीद

सायल गैरसायल

तहसीलदार पहाड़ी V/s आस मोहम्मद

प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act.

आज मेरें समक्ष श्री तहसीलदार पहाड़ी पुत्र श्री .... जाति ....

निवासी ग्राम .... तहसील .... ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु शपथ पत्र सहित प्रस्तुत कर अंकित कराया है कि आप वादी की उसके कब्जे काश्त की भूमि खसरां नम्बरान 1572/0.07, 1577/0.09, 1578/0.08 वाके ग्राम कैथवाड़ा – प्रथम

.... किता .... रकबा .... ग्राम .... तहसील ....

को बल पूर्वक उसको बेदखल करना व मजाहमत करना चाहतें हैं। अतः शपथ पत्र पर विश्वास व्यक्ति करते हुए प्राईमाफेसी केस व बैलेन्स ऑफ कन्वीनियन्स वादी के हक में प्रतीत होने पर आपको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करना उचित प्रतीत होता है।

{ अतः आपको आज्ञा दी जाती है कि }

आप उक्त विवरण विवाद ग्रस्त भूमि पर दिनांक 28/6/21 तक राजस्व रिकार्ड/मौके की यथा स्थिति बनाऐ रखें ~~एवं रहन क्य मुन्तकिल न करें तथा विवादग्रस्त भूमि में मजाहमत व मदाखलत न करें।~~ यदि आपको इस अस्थाई निषेधाज्ञा के लागू रहने में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा आपके द्वारा अधिकृत अभिभावक के दिनांक 28/6/21 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें यदि आप सूचना पाकर भी अनुपस्थित रहें तो एक पक्षीय प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जायेगी और कोई आपत्ति नहीं सुनी जावेगी।

आज दिनांक 09 माह 06 सन् 2021 को यह अस्थाई निषेधाज्ञा पत्र मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा सहित जारी किया।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

1. वास्ते तामील तह० पहाडी को जावे।
2. तहसीलदार पहाडी/उप पंजीयक को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

रघुनाथी ....बनाम मा. राजस्थान

दावा/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा .... 88 आर.टी.एक्ट

वाद पत्र एडमिट करने से पूर्व जाँच बिन्दु ।

1. क्या क्षेत्राधिकार हैं? हाँ
2. क्या पर्याप्त मुद्रांक पर है? हाँ
3. क्या अंकित तथ्य कार्यवाही के हेतुक को प्रगट करते हैं ? हाँ
4. क्या मियाद बाहर हैं ? नहीं
5. क्या वाद से सबंधित सभी को पक्षकार बनाया गया है तथा सही रूप में अंकित किया गया है ? हाँ
6. क्या वाद पत्र में निरर्थक बातें लिखी है या अन्यथा प्रपंची है? नहीं
7. क्या CPC के आदेश 7 का पालन किया गया है ? हाँ
8. क्या दावे के साथ नवीनतम जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है? हाँ
9. क्या इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है कि प्रार्थी जिस जमाबन्दी के आधार पर यह दावा प्रस्तुत कर रहा है बाद में भूमि अथवा इसके भाग का बेचान अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया हैं? नहीं
10. क्या ~~बंटवारे के~~ दावे में समस्त सहखातेदार को पक्षकार बना लिया गया है। हाँ
11. क्या राज्य सरकार अथवा जिला कलैक्टर पार्टी है? हाँ
12. क्या दावे के प्रत्येक पेज पर प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी हैं ? हाँ
13. क्या राजस्व भूमि शहरी क्षेत्र की है यदि हो तो क्या सम्बन्धित शहरी निकाय को पक्षकार बनाया गया हैं ? नहीं
14. क्या वाद पंजीकृत विलेख को निरस्त कराने बाबत हैं? नहीं
15. क्या भूमि का विलेख अनुबन्ध (Agreement to sale) के जरिये हुआ हैं? नहीं
16. क्या वाद ऐसी भूमि से सम्बन्धित है जिसका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के अन्तर्गत संपरिवर्तन किया गया हैं ? नहीं
17. क्या दर्ज किया जाना उचित हैं ? हाँ

श्रीमान SDO साहब

दिनांक 28/6/21 तक अप्रार्थीगण को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने हेतु पाबंद किया जाता है

हस्ताक्षर